

भारत सरकार
GOVERNMENT OF INDIA

सत्यमेव जयते

दिल्ली राजपत्र Delhi Gazette

एस.जी.-डी.एल.-अ.-04092020-221557
SG-DL-E-04092020-221557असाधारण
EXTRAORDINARY
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 180]	दिल्ली, शुक्रवार, सितम्बर 4, 2020/भाद्र 13, 1942	[रा.रा.क्षे.दि. सं. 123
No. 180]	DELHI, FRIDAY, SEPTEMBER 4, 2020/BHADRA 13, 1942	[N. C. T. D. No. 123

भाग IV
PART IVराष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली सरकार
GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHIविधि, न्याय एवं विधायी कार्य विभाग
अधिसूचना

दिल्ली, 4 सितम्बर, 2020

सं.फां. 6/1/2015-न्याय/अधी.विधि./886.894.-राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में यथाप्रवृत्त पंजाब न्यायालय अधिनियम, 1918 की धारा 20 के उपबंधों के अन्तर्गत राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल, दिल्ली उच्च न्यायालय की संस्तुति के आधार पर दिल्ली उच्चतर न्यायिक सेवा के अधिकारी श्री सुरेश कुमार गुप्ता को उनके द्वारा कार्यभार संभालने की तिथि से नियमित आधार पर जिला न्यायाधीश के रूप में नियुक्त करते हैं।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल
के आदेश तथा उनके नाम पर,
संजय कुमार अग्रवाल, प्रधान सचिव

DEPARTMENT OF LAW, JUSTICE AND LEGISLATIVE AFFAIRS**NOTIFICATION**

Delhi, the 4th September, 2020

No.F. 6/1/2015-Judl./Suptlaw/886-894.—Under the provisions of Section 20 of the Punjab Courts Act, 1918, as in force in the National Capital Territory of Delhi, the Lt. Governor of National Capital Territory of Delhi, on the recommendation of the High Court of Delhi, appoints Mr. Suresh Kumar Gupta, an officer of Delhi Higher Judicial Service as District Judge on regular basis with effect from the date he takes over.

By Order and in the Name of Lt. Governor
of the National Capital Territory of Delhi,
SANJAY KUMAR AGGARWAL, Prinl. Secy.